न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / एल.आर. / 242 / 2005 / जैसलमेर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उपनिवेशन, नाचना नं01, जिला जैसलमेर।

-- प्रार्थी

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र जीवणराम, जाति नाई, निवासी ग्राम पन्ज, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।
2. श्रीमती सत्यादेवी पुत्री श्री किरपाराम, निवासी ग्राम कथोली, जिला कांगडा।

-- अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री बी. एल. नवल, सदस्य

उपस्थित :-

1. श्री सुरेन्द्र शर्मा, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-1

निर्णय

दिनांक : 02-12-2011

यह निगरानी धारा 84, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा अपील संख्या 182/02 में पारित निर्णय दिनांक 16-06-2003 व दिनांक 19-07-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2- निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि उपायुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी, नाचना ने दिनांक 30-06-1995 को अप्रार्थी संख्या 1 भगवानाराम को चक नं0 8 के.डब्लु.डी. का मुरब्बा नम्बर 27/13 की 16 बीघा कमाण्ड भूमी (आगे प्रश्नगत भूमी कहा जायेगा) का आवंटन किया। आवंटन

अधिकारी ने स्वप्रेरणा से यह आवंटन दिनांक 16-06-2003 निरस्त कर यह भूमी अप्रार्थी संख्या 2 सत्यादेवी को आवंटित कर दी। अप्रार्थी संख्या 1 ने इस आवंटन की अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन व राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जो दिनांक 16-06-2003 को स्वीकार कर ली गई एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आवंटन आदेश दिनांक 08-02-2002 निरस्त कर दिया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16-06-2003 के आदेश विरूद्ध नजरसानी अतिरिक्त आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत की, जो दिनांक 19-07-2004 को खारिज कर दी। राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर के इन्हीं दोनों आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3- विद्वान् अभिभाषक, उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4- विद्वान् उप राजकीय अभिभाषक ने बहस में निगरानी मीमों के तथ्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि आवंटन अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये प्रश्नगत भूमी के आवंटन को स्वप्रेरणा (suo-moto) के आधार पर निरस्त कंर दिया। आवंटन निरस्त करने का आधार यह था कि प्रश्नगत भूमी पोंग डेम विस्थापितों हेतु आरक्षित रखी गई हैं तथा यह भूमी पोंग डेम विस्थापितों को ही आवंटन की जा सकती हैं अन्य को नहीं । जैसे ही यह जानकारी आवंटन अधिकारी को हुई, आवंटन निरस्त कर अप्रार्थी संख्या 2 सत्यादेवी, जो पोंग डेम विस्थापित हैं, उसके पक्ष में आवंटन कर दी। आवंटन अधिकारी ने विधि सम्मत कार्य किया हैं। यह तथ्य अतिरिक्त आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर की जानकारी में लागाया जाने के बाद भी प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 की अपील स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 का आवंटन निरस्त कर दिया। यहीं नहीं जब राज्य सरकार द्वारा नजरसानी प्रस्तुत की तब भी नजरसानी निरस्त कर विधि विरूद्ध कार्य किया हैं। प्रथम

[redacted]ARED

अपीलीय अधिकारी का यह विचार कि प्रश्नगत भूमी पौंग डेम विस्थापितों को आरक्षण सूची से अलग कर दी जाए, यह अनुचित व्यवस्था की गई। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावें।

5- बहस का जवाब देते विद्धान् अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 का कथन हैं कि प्रथम अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधि सम्मत होने से खारिज योग्य नहीं हैं। प्रश्नगत भूमी का पौंग डेम विस्थापितों के लिए आरक्षित होने का कोई नोट नहीं था, इसलिए आवंटन अधिकारी ने भूमी अप्रार्थी संख्या 1, जो कि सामान्य काश्तकार हैं व स्थानीय हैं, आवंटित कर दी। यह आवंटन सद्भावी, सामान्य श्रेणी में आवंटन एवं विधि सम्मत आवंटन हैं, जिसे स्वप्रेरणा के आधार पर रिव्यू कर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में 2003 आर.बी.जे. 311 जितेन्द्र सिंह बनाम सरकार की नजीर प्रस्तुत की। स्वप्रेरणा से रिव्यू कर आवंटन आदेश निरस्त करते समय अप्रार्थी संख्या 1 को आवश्यक रूप से सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया । आवंटन निरस्त का आदेश एक तरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया गया हैं, वह उचित हैं। अपने कथन के समर्थन में 1984 आर.आर.डी. 111 की नजीर पेश की। विद्धान् अभिभाषक का कथन हैं कि मुझ अप्रार्थी संख्या-1 को यह भूमी कमेटी द्वारा दिनांक 30-06-1995 को आवंटित हुई एवं कब्जा भूमी दिनांक 12-09-1996 को दिया गया। यह आवंटन दिनांक 08-02-2002 को स्वप्रेरणा से निरस्त कर दिया। लम्बे समय बाद भूमी का आवंटन निरस्त करना अनुचित है। इस बाबत 2001 आर.आर.डी. 126, 2006 आर.बी.जे. 11 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अंत में विद्धान् अभिभाषक का कथन है कि रिव्यू का स्कोप बहुत ही सीमित होता हैं। इस कथन के समर्थन में 2005 आर.बी.जे. 448, 540 एवं 577 के दृष्टांत पेश किये गये। विद्धान् अभिभाषक का कथन हैं कि प्रथम अपीलीय

PARED

अधिकारी ने रिव्यू प्रार्थना पत्र पर सही निर्णय किया व खारिज किया। बहस समाप्त करते हुए विद्वान् अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-1 ने दोहराया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश त्रुटि रहित हैं। रिव्यू प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया गया, वह सही हैं। अतिरिक्त आयुक्त व राजस्व अपील प्राधिकारी का निगरानीधीन आदेश विधि सम्मत हैं। निगरानी में कोई सार नहीं है, लिहाजा निगरानी खारिज की जावें।

6- हमने बहस पर मनन किया। उपलब्ध पत्रावलियों एवं दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रस्तुत नजीरों व कानून पर विचार किया व विश्लेषण किया।

7- बहस में यह बात सामने आई हैं कि क्या उपनिवेशन आयुक्त व आवंटन अधिकारी सुओमोटो यानी स्वप्रेरण से आवंटन आदेश को रिव्यू कर सकता हैं? साथ ही बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये किसी पक्षकार के संबंध में जारी आदेश विधि सम्मत हैं?

8- उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना की पत्रावली संख्या 1188/94 में दिनांक 30-06-1995 की आदेशिका से यह स्पष्ट होता हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 भगवानाराम को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा लाटरी से प्रश्नगत भूमी आवंटित की गई। आवंटन सलाहकार समिति के उस निर्णय की पालना में आवंटी भगवानाराम को भूमी का आवंटन आदेश दिनांक 13-11-1995 को जारी हुआ। इसी पत्रावली में ऑर्डरशीट दिनांक 08-02-2002 में निम्न उल्लेख हैं :-

"पत्रावली श्रीमान् उपायुक्त उपनिवेशन (प्रथम), बीकानेर के पत्रांक /एफ.10/ पु0/ सै/ 40/ विनि0/ 88 दिनांक 31-01-2002 के संदर्भ में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आंवटी को दिनांक 30-06-1995 को चक संख्या 8 के.डब्लु.डी. मु0 27/13 कि0सं0 1 ता

16/16 = 16 बी0क0 का आवंटन किया गया था। उक्त रकबा पौंग बांध विस्थापितों के लिए नियम 8-एए के तहत आरक्षण किया गया तथा उक्त रकबा दिनांक 27-12-85 को पौंग बांध विस्थापित नानकी माता वीरू को आवंटी थी, लेकिन नानकी द्वारा कब्जा नहीं लेने के कारण उक्त भूमि दिनांक 18-03-2000 द्वारा निरस्त करने के बाद श्रीमती सत्या देवी पुत्री किरपाराम सा0 कथोली, त0 ज्वाली, जिला कांगडा को दिनांक 04-10-2000 को विनिमय में आवंटित की गई। उक्त रकबा पोंग बांध विस्थापितों का आरक्षण होने के कारण एवं आवंटन होजे के कारण सुओमोटो रिव्यू करते हुए आवंटन किया गया रकबा चक 8 के.डब्लु.डी. मु0 27/13 कि0सं0 कि0सं0 1 ता 16/16 = 16 बी0क0 निरस्त किया जाता हैं। निरस्त आवंटन की सूचना से श्रीमान् आयुक्त महोदय तहसीलदार, नाचना-प्रयव व आवंटी को अवगत करवाया जावें तथा श्री भगवानाराम का प्रकरण डबल आंटन के रजिस्टर में दर्ज किया जावें।"

9- इस निर्णय की पालना में आवंटन निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता हैं कि आवंटन निरस्त स्वप्रेरणा से किया गया हैं एवं अप्रार्थी संख्या 1 को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। अप्रार्थी संख्या-1 के आवंटन आदेश में राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमी का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के प्रावधानों का उल्लेख हैं। इन नियमों में आवंटन निरस्त का प्रावधान हैं, परन्तु इस नियम में स्वप्रेरणा से आवंटन निरस्त करने का कोई संदर्भ नहीं हैं। हम 2003 आर.बी.जे. 311 जितेन्द्र सिंह बनाम सरकार के न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित इस सिद्धांत से सहमत हैं कि आवंटन अधिकारी सुओमोटो रिव्यू कर आवंटन निरस्त नहीं कर सकता। आवंटन निरस्ती हेतु निर्धारित प्रकिया एवं नियमों के तहत कार्यवाही करनी चाहिए। यह भी स्पष्ट हैं कि आवंटन निरस्ती से

[redacted]ARED [redacted]

पूर्व आवंटी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, यह नैसर्गिक सिद्धांत के विपरीत हैं। इस बारे में प्रस्तुत 1984 आर.आर.डी. 111 उपयुक्त नजीर हैं। यह स्थापित किया जाता हैं कि राजस्थान उपनिवेशन नियम, 1975 के प्रावधानों के विरूद्ध आवंटन आदेश सुओमोटो रिव्यू किया जाकर, आवंटन निरस्त किया, वह भी अप्रार्थी को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना। ये दोनों ही कार्यवाहियां विधिनुरूप नहीं हैं।

10- आवंटन निरस्ती कार्यवाही में यह उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमी पौंग डेम विस्थापितों हेतु आरक्षित की गई हैं एवं अप्रार्थी संख्या 2 सत्यादेवी पौंग डेम विस्थापित होने से अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 को आवंटन किया गया हैं। पौंग डेम विस्थापितों के लिए राजस्थान उपनिवेशन (पौंग डेम विस्थापितों के लिए इंदिरा गांधी कैनाल क्षेत्र में भूमी आवंटन एवं विनियम) नियम, 1972 के अलग-अलग नियम बने हुए हैं। आवंटन अधिकारी ने भगवानाराम अप्रार्थी के प्रकरण में ही सत्यादेवी को भू-आवंटन की यह कार्यवाही संपादित की, जो कि अनुचित थी। पटवारी व तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 12-06-2003 से यह स्पष्ट है कि आप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन दिनांक 30-06-95 के पश्चात् भूमी का कब्जा दिनांक 12-09-1996 को दे दिया गया था एवं रिपोर्ट दिनांक तक अप्रार्थी संख्या 1 इस भूमी पर काबिज हैं तथा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में भले ही आवंटन आदेश जारी किये जा चुके हों, मगर कब्जा अभी तक उसे नहीं दिया जा सका हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में अंतिम पांच लाईनों में जो स्पष्ट निर्देश दिये हैं, उससे हम सहमत हैं। अप्रार्थी द्वारा खातेदारी के संबंध में जो जो नजीरें 2001 आर.आर.डी 128 व 2006 आर. बी.जे. 11 प्रस्तुत की हैं, यहां चस्पा नहीं होती।